<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>22/01/2026</u>

<u>(एमयूडीए घोटाला)</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने श्री सिद्धारमैया और अन्य (एमयूडीए घोटाला) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 21.01.2026 को 10 अचल संपत्तियों, अर्थात् एमयूडीए द्वारा अवैध रूप से आवंटित 6 भूखंडों, 3 अचल संपत्तियों और एक व्यावसायिक भवन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका बाजार मूल्य 20.85 करोड़ रुपये है।

ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा भूखंडों के अवैध आवंटन में हुए बड़े पैमाने के घोटाले के मामले में लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इस मामले में ईडी द्वारा 18.10.2024 और 28.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी में पता चला कि 14.03.2023 के पत्र, 27.10.2023 के सरकारी आदेश (कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के बदले भूमि आवंटन) नियम, 2009 (2015 में संशोधित) और कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण (स्वैच्छिक भूमि समर्पण के लिए प्रोत्साहन योजना) नियम, 1991) का घोर उल्लंघन करते हुए भूमि आवंटन किया गया था। इसके अलावा, तलाशी अभियान में एमयूडीए अधिकारियों/कर्मचारियों और रियल एस्टेट व्यापारियों के बीच गहरी सांठगांठ का भी खुलासा हुआ। साक्ष्यों से यह भी पता चला कि भूमि आवंटन और लेआउट की मंजूरी के लिए नकद भुगतान किया गया था।

इससे पहले, इस मामले में ईडी ने अवैध रूप से आवंटित एमयूडीए की कुल 283 जमीनों और 3 निजी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। इसके अलावा, एमयूडीए के पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से एमयूडीए की जमीनों का आवंटन किया था, को 16.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, जीटी दिनेश कुमार पीएमएलए, 2002 के तहत न्यायिक हिरासत में हैं।

इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच में जीटी दिनेश कुमार द्वारा प्राप्त अनुचित रिश्वत के लेन-देन और विभिन्न स्तरों से किए गए लेनदेन का खुलासा हुआ। अपराध से प्राप्त इस धनराशि का उपयोग जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने और व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए किया गया था। आगे की जांच में यह भी पता चला कि एमयूडीए के पूर्व अध्यक्ष एस. के. मारिगौड़ा ने अवैध रूप से भूखंडों के आवंटन के बदले एमयूडीए की जमीनों के रूप में रिश्वत प्राप्त की थी।

इस मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अब तक लगभग 460 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की अपराध से प्राप्त संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।